प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002

Phone No. : 2582084
Fax No. : 2580965
E-mail : directordteup@gmail.com

Visit us: http://dte.up.nic.in

4

-::: आदेश :::-

समूह'ख' के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	सतीश कुमार, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	संजय गाँधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर	एम०एम०आई०टी०, कौशाम्बी	स्वयं के अनुरोध पर
2.	अरविन्द कुमार, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, सरसई राठ, हमीरपुर	राजकीय पालीटेक्निक, मनकेड़ा, आगरा	स्वयं के अनुरोध पर
3.	श्रीमती नम्रता पाल, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कोटवन, मथुरा	स्वयं के अनुरोध पर
4.	अभिनय जैन, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्नि, बदायूँ	राजकीय पालीटेक्निक, सुतावली, अमरोहा	जनहित में
5.	मृदुल कुमार, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, फिरोजाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, मनकेड़ा, आगरा	स्वयं के अनुरोध पर
6.	श्रीमती प्रियंका यादव, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	संजय गाँधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर	राजकीय पालीटेक्निक, जमुनिया डीह, हरख, बाराबंकी	स्वयं के अनुरोध पर

उपरोक्त में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त संदर्भित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक–3/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक–29.03.2018, पत्रांक–4/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक–03.04.2018 एवं शासन के पत्रांक–569/सोलह–2–2018–7(ई)/2018, दिनांक–05.04.2018 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे है।

(आर०सी० राजपूत)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।